न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्र0न0 — 36/2023

उनवान : —

1. फूलाराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री सतवीर पूनिया प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 12/07/2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 बीआरडब्लयू के खाता संख्या 55/49 मु0न0 22 के किला नं0 9 ता 12, मु0न0 23 के किला नं0 1, 2, 9, 10 कुल 2.024है नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक 5 बीआरडब्लयू के खाता संख्या 38/35 के प0न0 396/406 मु0न0 50 के किला नं0 23, 24, 25/1, 25/2, प0न0 397/406 के मु0न0 49 के किला नं0 19/1, 19/2, 21/1, 21/2 कुल 1.265है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम फुलाराम की बजाय फूलचंद दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम फुलाराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम फुलाराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। व तहसीलदार रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस [illegible] प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई [illegible] प्रार्थी का नाम नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त दोनों खातो में फूलचंद पुत्र चुन्नीराम [illegible] है। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में नाम फूलाराम पुत्र चुन्नीराम है। अतः प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र ,

ार कार्ड, जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड ,प्रमाण पत्र सरपंच तथा मुताबिक पोर्ट पटवार हल्का आदि में सही नाम फूलाराम पुत्र चुन्नीराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 55/49 मु0न0 22 के किला नं0 9 ता 12, मु0न0 23 के किला नं0 1, 2, 9, 10 कुल 2.024है नहरी खातेदारी कृषि भूमि व चक 5 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 38/35 के प0न0 396/406 मु0न0 50 के किला नं0 23, 24, 25/1, 25/2, प0न0 397/406 के मु0न0 49 के किला नं0 19/1, 19/2, 21/1, 21/2 कुल 1.265है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **प्रार्थी के नाम फूलचन्द पुत्र चुन्नीराम की जगह प्रार्थी का सही नाम** फूलाराम पुत्र चुन्नीराम **दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।** कृषि भूमि यदि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त अथवा बैंक की सहमती के बाद ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। यदि निकट भविष्य में प्रार्थी के फुलचन्द पुत्र चन्नीराम से कोई आपाराधिक रिकार्ड अथवा किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम फुलचंद पुत्र चुन्नीराम ही लागू होगा तथा प्रार्थी की स्वंय की जिम्मेदारी होगी।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested